राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 281 / 2024

श्रीमती आशा दोसी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, बांसवाड़ा।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाडा।
6. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :–

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री पी आर मेहता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य

असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 05.07.1985 द्वारा अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन उपरान्त 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पर नियुक्त किया गया था (अनुलग्नक–1)। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 06.07.1985 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का परिवीक्षाकाल संतोषप्रद होने से आदेश दिनांक 17.12.1987 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 06.07.1987 से स्थाई कर दिया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार नियमित नियुक्ति है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 की अनुपालना में 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से देय है परन्तु विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के आधार पर नियमित नियुक्ति तिथि मानते हुए सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान दिए जाने के आदेश दिए गए है। अपीलार्थी ने बी.एड. की डिग्री दिनांक 14.05.1991 को उत्तीर्ण की। अतः विभाग ने दिनांक 14.05.1991 से नियुक्ति मान कर चयनित वेतनमान एवं वार्षिक वेतन वृद्धिया स्वीकृति दी है। अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 14.05.2000 से एवं 18 वर्ष की सेवा पर द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 14.05.2009 से दिया

गया है एवं 27 वर्ष की सेवा पर तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 14.05.2018 से स्वीकृत किया है (अनुलग्नक–3 से 5) जबकि यह परिलाभ नियमित नियुक्ति दिनांक 06.07.1985 से दिए जाने चाहिए। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01. 1992 (अनुलग्नक–6) के अनुसार चयनित वेतनमान प्रथम नियमित नियुक्ति से सेवाकाल की गणना कर किए जाते है। अपीलार्थी जनजाति जिला बांसवाड़ा हेतु नियम, 1959 के नियम–11 में अनुसूची–। में महिला शिक्षक हेतु निर्धारित पूर्ण योग्यता धारित करती है। यह भी अंकित किया गया है कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की वृहदपीठ श्रीमती पुष्पलता थाडा एवं अन्नमा चाकू जैसे प्रकरणों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से प्रदान किया जावे। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. दायर की गई जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। विभाग द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2001 (अनुलग्नक–8) द्वारा यह निर्देश दिये गए है कि प्रशिक्षित /अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति तिथि से देय होगा परंतु जिन्होंने कोर्ट/ट्रिब्यूनल से कोई आदेश प्राप्त नहीं किया है उन्हें प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा। अपीलार्थी ने प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ देने हेतु नोटिस फॉर डिमाण्ड ऑफ जस्टिस प्रत्यर्थी विभाग को दिया (अनुलग्नक–7)। अधिकरण द्वारा समान प्रकरणों में प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान हेतु आदेशित किया है (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि प्रथम नियुक्ति तिथि 06.07.1985 से चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए उसका वेतन पुनः निर्धारण किया जाए तथा अपीलाथी/को नियम, 1959 के नियम–11 के तहत् प्रशिक्षित मानते हुए वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जावे एवं बकाया भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जाए।

2. प्रत्यर्थी राज्य सरकार ने अपने जवाब में अंकित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5860–61/2014 राजस्थान राज्य बनाम सुरेन्द्र मेहनोत एवं अन्य तथा जगदीश नारायण चतुर्वेदी के प्रकरणों में चयनित वेतनमान और सेवा की गणना नियमितिकरण तिथि से करने हेतु आदेशित किया। अपीलार्थी के BSTC/B.Ed. की डिग्री वर्ष 1991 में हासिल की है। अतः जिस तिथि से उसने निर्धारित अर्हता अर्जित की है उस तिथि से अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है। अपीलर्थी अब अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विचारणीय प्रश्न है कि अपलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ कब से दिया जाए? जहां तक अपीलार्थी के प्रशिक्षित होने अथवा न होने एवं इसका प्रभाव उनको देय चयनित वेतनमान पर होने का संबंध है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार श्रीमती पुष्पलता थाड़ा एवं 41 अन्य बनाम राजस्थान राज्य सरकार एवं (डब्ल्यू एल.सी. (राज.) 2001 (2) पृष्ठ–560) एवं अन्नमा चाकू बनाम सरकार एवं (उच्चतम न्यायालय) के मामलों में पारित निर्णयों एवं तदनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षित होने अथवा चयनित वेतनमान पर न होने संबंधी आदेश दिनांक 26.06.2001 के में यह स्पष्ट है कि 9, 18 व 27 वर्ष पर चयनित वेतनमान के मामलों में प्रशिक्षित होने अथवा न होने का कोई प्रभाव नहीं होगा। वर्तमान मामले में प्रशिक्षित होने अर्थवा न होने का कोई प्रभाव चयनित वेतनमान देने में नहीं होगा। वर्तमान में चयनित वेतनमान देने हेतु कौनसी तिथि देखी जावे इस निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील संख्या–3620/2009, 2848/2006 (राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी के आधार पर किया जाना है। उक्त विनिश्चय के अनुसर यह देखते हुये कि अपीलार्थी की नियुक्ति नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संबंधित पंचायत समिति में उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध की गई है तथा अपीलार्थी को नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया एवं परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात स्थाईकरण किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति होने से प्रथम नियुक्ति तिथि 06.07.1985 से उक्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णयानुसार ही वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों को चयनित वेतनमान देय किये जाने संबंधित आदेश दिनांक 18.11.2010 तथा 20.08.2010 को पारित किये गये है। उपर्युक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अधिकरण के मत में अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान पाने के अधिकारी है।

5. जहां तक अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने का विषय है। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमों में निर्धारित प्रक्रिया से चयन किया जाकर नियमित नियुक्ति है। मरूस्थलीय जिले जैसलमेर एवं बाड़मेर तथा जनजातिय जिले डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा सेवा नियम, 1959 नियम–11 में इन जिलों हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करने हेतु छूट प्रदान की गई है। नियम–11 का परन्तुक निम्नानुसार हैः–

> " **Rule 11 : Academic qualifications and qualifying service:-**
>
> A recruit to the various categories of services must process the minimum educational qualification of technical qualification and experience detailed in schedule to these Rules.

> The qualifications for the teacher grade-III as per scheduled was as under:-
>
> Provided that in case of non-availability of trained women candidates in Tribal Districts of Dungarpur and Banswara and Desert Districts of Barmer and Jaisalmer, the minimum qualification may be untrained Matric or equivalent. "

6. इससे स्पष्ट है कि जनजाति जिले डूंगरपुर एवं बांसवाडा में महिला शिक्षकों को प्रशैक्षणिक योग्यता से छूट प्रदान करते हुए इन्हें एसटीसी/बी.एड. की योग्यता धारित करना अपेक्षित नहीं था। इस मामले में अप्रशिक्षित सैकण्डरी या समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई। अतः अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृति की पात्र है।
7. अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाथ्री को प्रथम नियुक्ति तिथि 06.071985 से सेवाकाल की गणना का चयनित वेतनमान/ACP स्वीकार किए जावे एवं प्रथम नियुक्ति तिथि से ही उसकी वार्षिक वेतनवृद्धियां स्वीकृत की जावें एवं पारिणामिक परिलाभ प्रदान किए जावे। प्रत्यर्थी विभाग इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के 4 माह के भीतर आदेश की क्रियान्विति सूनिश्चित करें।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य